UPRB010038712026

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली
पीठासीन अधिकारी–श्री अनिल कुमार पंचम (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP6045
प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1654/2026

1– राशिद अहमद उर्फ राशिद पुत्र जाहिद अली उर्फ जाहिद, निवासी चक मुल्लनपुर, चक गाजीपुर छिवलहा थाना हथगाम जिला फतेहपुर। ..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1– उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली। ..... अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–495/2025
अं०धारा–316(2), 317(2), 134 बी०एन०एस०
थाना– मिलएरिया, जिला– रायबरेली।

दिनांक–30.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **राशिद अहमद उर्फ राशिद** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–495/2025 अं०धारा–316(2), 317(2), 134 बी०एन०एस० थाना–मिलएरिया, जिला– रायबरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "दिनांक 8/12/2025 को मै व मेरे दोस्त राजेश सिंह दोनो लोग मेडिसिन की रेंज बढ़ाने हेतु मो0 न 0 9793327187 पर राजेश बात हुयी। जिस पर दुसरी पार्टी ने फोन पर बताया कि 5 लाख रुपये देने होगें रायबरेली में आकर मिलो हम लोग रायबरेली आ गये तब रतापुर के पास एक व्यक्ति मिला तथा आगे चलकर ऑफिस में मिलने हेतु बोला हम लोग उसके कहने के अनुसार एकता विहार के तरफ गये जहाँ पर वह व्यक्ति मुझसे 5 लाख रुपये का बैग छीनकर काले रंग की क्रेटा गाड़ी पर सवार होकर भाग गया। 9793327187 मो0 न 0 वाला व्यक्ति मुकुंद झा है जो राजेश का पूर्वपरचित था पैसा लेकर चले गये प्रोडक्ट रेंज नहीं बढवाये।"

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र संक्षिप्तः इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विधि व्यवस्था के अनुसार सत्येन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन व अन्य (2021) 10 एस०सी० सी० 773 सिद्वार्थ बनाम द स्टेट आफ यू० पी० एण्ड एन आदर 2022 (1) एस०सी०सी०–676 एण्ड अमन प्रीत सिंह बनाम सी० बी० आई० थ्रो डायरेक्टर–2021 एस० सी० सी० आनलाइन एस० सी०–941** मे दिये गये दिशा निर्देशो के आधार पर प्रार्थी को जमानत प्रदान किये जाने की याचना करता है। प्रार्थी/याची पूर्णतया निर्दोष है वह किसी प्रकार की उपरोक्त कथित अपराध कारित नहीं किया है न ही उक्त कथित घटना से प्रार्थी/याची का कोई सम्बन्ध है। प्रार्थी/याची का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नहीं था, बल्कि सहअभियुक्तगण नसीम पुत्र जावेद, नसीम पुत्र स्व० जफरूल तथा अरविन्द दुबे पुत्र अशोक कुमार द्वारा कथित रूप से दिए गए संयुक्त बयान (Hearsay) के आधार पर विवेचना के दौरान जोड़ा गया है। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा सी०सी०टी०वी० फुटेज प्रस्तुत की गई है, किन्तु उसमे दिखाई देने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं है तथा केवल साइड एंगल की वीडियो फुटेज है जिससे प्रार्थी/याची की पहचान सुनिश्चित

नहीं होती है। प्रार्थी/याची के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है और न ही पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी/याची के विरूद्ध अभियोजन के पास कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है केवल सहअभियुक्तगणों के बयान के आधार पर प्रार्थी/याची का नाम जोड़ा गया है जो विधि की दृष्टि में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। सहअभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है अतः समानता (Parity) के आधार पर प्रार्थी भी जमानत पाने का हकदार है। प्रार्थी/याची के विरूद्ध अभियोजन द्वारा कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्नेश कुमार बनाम स्टेट आफ बिहार में स्पष्ट किया है अनावश्यक गिरफ्तारी से बचा जाना चाहिए। काश्मीरा सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है सहअभियुक्त का बयान बहुत कमजोर साक्ष्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धाराम सतलिंगाप्पा माहत्रे बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र में कहा है कि अग्रिम जमानत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु आवश्यक है। प्रार्थी/याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है एवं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है। सहअभियुक्तों द्वारा अपना बचाव करने हेतु पुलिस विवेचना मे वादी/याची का झूठा नाम लिया जा रहा है। अगर प्रार्थी/याची को गिरफ्तार किया जाता है जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी/याची अपने परिवार में केवल अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी/याची फरार नही होगा और न ही गवाहो पर किसी प्रकार का कोई दबाव डालेगा और माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशो एवं निर्देशो का प्रार्थी/याची अक्षरशः पालन करेगा और जब भी माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी/याची को आहुत किया जाएगा तो प्रार्थी/याची उपस्थित आयेगा। प्रार्थी/याची का सत्र न्यायालय में यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा अन्य कोई प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय मे न तो प्रस्तुत किया गया है और नहीं विचाराधीन है। प्रार्थी/याची समुचित एवं विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार है तथा अग्रिम जमानत की शर्तों का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थी/याची को अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना पूर्ण आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि, अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा का 5 लाख रुपये का बैग छींनकर धोखाधड़ी की गयी। प्रकरण प्रतिरूपण द्वारा छल, मूल्यवान प्रतिभूति या किसी मूल्यवान की रचना या अन्तरण के प्राधिकार या किसी धन आदि को प्राप्त करने के प्राधिकार की कूटरचना एवं धोखाधड़ी कर रूपया हड़पने के अपराध से संबंधित है। अभियुक्त जमानत पर रिहा किया गया तो जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करने व फरार होने तथा साक्ष्य व साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

उल्लेखनीय है कि, अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि, दिनांक 08.12.2023 को वादी मुकदमा व उसका दोस्त राजेश सिंह दोनों लोग मेडिसिन की रेंज बढ़ाने हेतु मोबाइल पर बात हुयी। जिस पर दूसरी पार्टी ने फोन कर बताया कि पाँच लाख रूपये देने होंगे। रायबरेली आकर वादी मुकदमा व उसके दोस्त से रतापुर के पास एक व्यक्ति मिला तथा आगे चलकर आफिस में मिलने हेतु बोला । वादी मुकदमा व उसका दोस्त उसी व्यक्ति के कहने के अनुसार एकता विहार के तरफ गये जहां पर वह व्यक्ति वादी मुकदमा से पाँच लाख का बैग छीनकर काले रंग की क्रेटा गाड़ी पर सवार होकर भाग गया। मो० नं 9793327187 वाला व्यक्ति मुकुंद झा है, जो राजेश का पूर्वपरिचित था का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है।

उल्लेखनीय है कि, पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी संख्या–1 के पृष्ठ संख्या–10 पर चश्मदीद गवाह रवीन्द्र श्रीवास्तव द्वारा बयान दिया गया है कि दिनांक 08.12.2025 को समय करीब 01.40... ... .हाइवे की तरफ से 2 व्यक्ति आ रहे थे जिनमें से एक के हाथ में बैग था। तभी एक काली क्रेटा कार एकता विहार की तरफ से आयी और बैग लिये हुए व्यक्ति कार में बैठने लगा तो दूसरा व्यक्ति बैग लेने का प्रयास किया। क्रेटा कार से कुछ व्यक्ति उतरे और बैग लेकर कार में बैठकर चले गये... ... ... । व केस डायरी संख्या 2 के पृष्ठ संख्या 3 पर चशमदीद गवाह राजेश सिंह ने बयान दिया है कि ... ...जहां एक व्यक्ति मिला तथा आगे चलकर ऑफिस में मिलने हेतु बोला हम लोग उसके कहने के अनुसार एकता विहार के तरफ बढ़े जहां पर वह व्यक्ति शचीन्द्र से 5 लाख रुपये का बैग छीनकर काले रंग की क्रेटा नं UP70FV2221 पर सवार होकर भाग गया... ... ..।"

सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्यानुसार अभियुक्त का नाम विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आया था, अभियुक्त प्रकाश में आया सहअभियुक्त है। जिसके द्वारा 5 लाख रूपये की छिनैती की गयी थी। जिसकी घटना सी०सी०टी०वी० में कैद की गयी। जिसके पर्याप्त साक्ष्य है। अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध किया गया है यदि अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाता है तो अवश्य ही मा० न्यायालय के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करेगा और न्यायालय द्वारा बुलाने पर समय से उपस्थित नहीं होगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **राशिद अहमद उर्फ राशिद** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–495/2025 अं०धारा–316(2), 317(2), 134 बी०एन०एस० थाना–मिलएरिया, जिला– रायबरेली के मामले में निरस्त किया जाता है।

(अनिल कुमार पंचम)
J.O. Code– UP6045
प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Stenographer
Mohit Kumar

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.01 12:19:32 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Cour, Raebareli